अध्याय–16

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण

16.1 कोल इंडिया लि.

16.1.1 आरक्षण नीति

राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती			पदोन्नति		
समूह क और ख पदों के लिए	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	समूह क ख, ग एवं घ के लिए	अ.जा.	अ.ज.जा.
खुले आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा अखिल भारतीय आधार (लिखित)	15%	7 ½%	27%	अखिल भारत	15%	7 ½%
लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित न करके अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर	16 2/3%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग और घ के पदों में भर्ती में आरक्षण संबंधी निदेश है, जहां राज्यवार आरक्षण के मानदंड का पालन किया जा रहा है। सहायक कंपनी–वार / राज्यवार आरक्षण का प्रतिशत निम्नवत है:

राज्य	कंपनी	अ.जा.का प्रतिशत	अ.ज.जा.का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग का प्रतिशत
झारखंड	बीसीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीएमपीडीआईएल	12	26	12
पं.बंगाल	ईसीएल	23	5	22
पं.बंगाल	सीआईएल, कोलकाता	23	5	22
उड़ीसा	एमसीएल	16	22	12
मध्य प्रदेश	एनसीएल	15	20	15
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	12	32	6
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10	9	27
असम	एनईसी	7	12	27

16.1.2 सीआईएल में 1.1.2013 (अर्थात 31.12.2012 अनंतिम) की स्थिति के अनुसार समूहवार जनशक्ति तथा प्रतिशतता के साथ अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है:

अनंतिम

समूह	कुल संख्या	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा. का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग का प्रतिशत
क	14040	8.86	3.08	10.29
ख	22527	10.12	6.76	13.56
ग	225596	21.28	12.18	18.64
घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	108866	19. 99	14.14	17.64
ड. (सफाई कर्मचारी)	3621	98.65	0.39	0.94
कुल	374650	20.54	11.97	17.56

16.1.3 कल्याणकारी उपाय

कोयला खनन उन क्षेत्रों में रह रहे समुदायों पर गहरा प्रभाव डालता है जहां खानें स्थापित की जाती है। इन क्षेत्रों में किसी औद्योगिक गतिविधियों के आरंभ होने का स्पष्ट प्रभाव मूल निवासियों और स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली तथा क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा में परिवर्तन आना है। उपर्युक्त के संदर्भ में कोल इंडिया इसमें विश्वास करती है कि खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खान विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं तथा दीर्घकालिक विकास के लिए उन्हें खनन परियोजनाओं के विकास के लाभ का हिस्सा दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों के आस–पास विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप कर रही हैं।

कोयलाधारी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की गई हैं –

क) पेयजल का प्रावधान, स्कूल भवनों का निर्माण, चेक डैम ग्रामीण सड़कों, लिंक रोड और पुलियों, औषधालयों तथा स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, बाजार स्थान आदि जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों (अवसंचना) का सृजन।

ख) जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप जैसे स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविर, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, प्रतिरक्षण शिविर, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधि, पौधारोपण आदि।

16.1.4 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

01.01.2013 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में

निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है:

(अनंतिम)

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग
ईसीएल	78737	23	12	38
बीसीसीएल	65727	38	18	69
सीसीएल	50496	25	11	32
डब्ल्यूसीएल	57510	32	8	160
एसईसीएल	76583	10	6	87
एमसीएल	21936	20	12	62
एनसीएल	16377	9	2	34
एनईसी	2560	0	0	1
सीएमपीडीआई	3168	1	3	13
डीसीसी	572	0	0	0
सीआईएल (मुख्या.)	984	1	0	0
कुल सीआईएल	374650	159	72	496

वर्ष 1996–97 से समूह ग और घ में नियुक्तियों का ब्यौरा:

वर्ष	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के तहत भरे गए पदों की संख्या		
		वीएच	एच –एच	ओएच
1996–97 से 1.1.11	5877	4	3	24

वीएच – दृष्टि विकलांग एचएच – श्रव्य विकलांग ओएच – अस्थि विकलांग

16.2 नेयवेली लिग्नाइट

16.2.1 एनएलसी भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियम का पालन कर रही है। भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर अधिकारी के अधीन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण नीति संबंधी आदेशों के समुचित अनुपालन हेतु एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। यह प्रकोष्ठ उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित कर रहा है। प्रकोष्ठ के कार्यों में से एक कार्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य उन रक्षोपायों के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक बनाना है जिनकी भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा मामलों में भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है तथा आरक्षण नीति संबधी राष्ट्रपति के आदेश का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना है।

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की आरक्षित श्रेणियों के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित है:–

समूह		आरक्षण का लागू प्रतिशत		जनशक्ति की स्थिति			उपलब्ध प्रतिशत	
		एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	एससी	एसटी
क		15	7.5	4042	839	169	20.76	4.18
ख		16.66	7.5	233	20	129	8.58	55.36
ग		19	1	11705	2386	118	20.38	1.01
घ	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	19	1	1499	342	10	22.82	0.67
	सफाई कर्मचारी			16	9	0	56.25	0.00
कुल				**17495**	**3596**	**426**	**20.55**	**2.43**

16.2.2 एससी/एसटी के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना

योजना आयोग द्वारा एससीपी के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर योजना आयोग द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों और कोयला मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त विभिन्न पत्र व्यवहारों के आधार पर स्कीम बनाने के पश्चात एनएलसी ने वर्ष 2000 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना (पूर्व में विशेष घटक योजना के नाम से विख्यात) को

प्रतिपादित तथा कार्यान्वित किया है। कोई पृथक जनजातीय उप योजना नहीं है क्योंकि अनुसूचित जनजाति की आबादी एनएलसी के परिधीय क्षेत्र में नगण्य है और इसलिए एससीएसपी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

16.2.3 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

एनएलसी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/नीति कार्यान्वित कर रहीं है। एनएलसी नेयवेली स्वास्थ्य संवर्धन एवं समाज कल्याण सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) का संरक्षण कर रही है। यह सोसाइटी समाज के सामाजिक कल्याण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से लगातार वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता/मदद प्राप्त करती रही है जो तमिलनाडु के कुड्डालोर, विल्लूपूरम और निकटवर्ती जिलों में विकलांग आबादी को लाभ पंहुचाती है।

16.2.4 पदोन्नति

समूह "घ " के भीतर, समूह "घ " से "ग " तथा समूह "ग " के भीतर पदोन्नति के लिए एनएलसी 100 प्रतिशत पदोन्नति की गुंजाइश के साथ समयबद्ध पदोन्नति स्कीम अपना रही है तथा रिक्ति, जिसमें चयन का कोई तत्व नहीं है, से लिंकेज के बिना पदोन्नति समयबद्ध आधारित है।

16.2.5 एड्स से संबंधित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

मां से बच्चे में एचआईवी के संक्रमण के सीधे फैलाव की रोकथाम करने तथा मां में एचआईवी संक्रमण के नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से मातृत्व विभाग में जांच और परामर्श केंद्र खोला जा रहा है। यह सेवा आसपास के गांवों से जन्म से पूर्व सेवाओं के लिए अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को प्रदान की जा रही हैं। दूसरा कोई तरीका नही है जिसके द्वारा एचआईवी की जांच की जा सकती है यदि व्यक्ति जिन्हें इसका खतरा है महसूस नहीं करते कि उन्हें जांच हेतु आगे आना चाहिए। नेयवेली पुस्तक मेला तथा सुरक्षा सप्ताह समारोह एचआईवी जांच के लिए आगे आने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करते हैं।

16.3 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

16.3.1 एससी/एसटी/बीसी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व

जहां तक एससीसीएल का संबंध है, 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार पंजी में कर्मचारियों की कुल संख्या 65,223 है।

01.01.2013 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में आरक्षण श्रेणियों में मौजूदा कर्मचारियों को सामाजिक न्याय से संबंधित सूचना निम्नवत है:–

नामावली में कुल व्यक्तः 65023

जाति	नामावली में	% शेयर
बीसी	35724	54.94
एससी	14208	21.85
एसटी	3246	4.99
अन्य	11849	18.22
कुल	65027	100

16.3.2 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

यह उल्लेखनीय है कि खान अधिनियम, 1952 तथा खान नियमावली, 1955 में खान में नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कतिपय न्यूनतम शारीरिक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और खतरनाक प्रकृति के कार्य के मद्देनजर कोलियरी के चिकित्सा अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ में मेडिकल फिटनेस अथवा अन्यथा प्रमाणित करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। इसलिए खानों में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही नियोजित करने का दायित्व स्वयं खान मालिकों का है।

एससीसीएल में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने सांविधिक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. को, सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, के दिनांक 30.05.2003 के पत्र सं. 946/पीआर/1(2)/2003–5 तथा सरकार के विशेष मुख्य सचिव, ऊर्जा (पीआरआई) विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद के दिनांक 12.12.2005 के जी.ओ.आरटी सं./317 के तहत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी), 1995 (1996 का केंद्रीय अधिनियम सं.1) की धारा 33 के अंतर्गत सीधी भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण कार्यान्वित करने से छूट दे दी है।

16.3.3 विशेष विकास कार्यक्रम

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

अवसंरचना प्रदान करके तथा मशीनरी की आपूर्ति करके सिंगरेनी सेवा समिति (एसएसएस) द्वारा निम्नलिखित तीन विशेष स्कूलों को सहायता दी जा रही है:

- मनोचैतन्य स्कूल, गोदावरीखानी (मानसिक रूप से मंद के लिए)
- मनोविकास स्कूल, मंदामरी (मानसिक रूप से मंद के लिए)
- साई मनोतेजा डेफ एंड डम्ब स्कूल, मानुगुरू

एससीसीएल में और उसके इर्द–गिर्द आदिवासी समुदाय को अवसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है:–

1. मनुगुरू में आदिवासी गृह
2. बेल्लामपल्ली में बनवासी कल्याण परिषद
3. कोठागुडम में वनवासी कल्याण परिषद
4. बेल्लामपल्ली क्षेत्र में आर एण्ड आर केंद्र

16.3.4 सीधी भर्ती के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश, 1975

- राष्ट्रपति के आदेश, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती के संबंध में एससीसीएल से संबंधित सूचना निम्नवत है:–

सीधी भर्ती द्वारा प्रवेश स्तर पर गैर–कार्यपालक संवर्ग के लिए प्रथम 20 प्रतिशत रिक्तियां खुली श्रेणी (अर्थात स्थानीय और गैर–स्थानीय) से उनकी मेरिट और साप्रदायिक रोस्टर के आधार पर भरी जाएगी। शेष 80 प्रतिशत रिक्तियों को मेरिट तथा साप्रदायिक रोस्टर बिन्दूओं के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

- सीधी भर्ती द्वारा प्रवेश स्तर पर कार्यपालक संवर्ग पदों के मामले में प्रथम 40 प्रतिशत पदों को खुली श्रेणी (स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों) के रूप में संयुक्त मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा तथा शेष 60 प्रतिशत पदों को मेरिट तथा साप्रदायिक रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

  स्थानीय उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त आरक्षण निम्नलिखित पदों के लिए लागू नहीं होगाः–

  (क) चिकित्सा और स्वास्थ्य विधा में कार्यपालक संवर्ग के पद।

  (ख) खनन विधा में कार्यपालक संवर्ग के पद।

  भर्ती हो जाने के बाद उम्मीदवारों को किसी अन्य जिले/राज्य जहां एससीसीएल को आवश्यकता हो, में स्थानांतरित किया जा सकता है।